317

LA-5(II)

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक : एफ 7-10/2016/32 नया रायपुर, दिनांक 13/01/2017

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
छत्तीसगढ़, रायपुर
दिनांक 13 JAN 2017
आवक क्रमांक 76
दिनांक 17/01/17

विषयः छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम/नियम, 2002 में संशोधन अनुसार कार्यवाही करने के संबंध में ।

----00----

आप इस तथ्य से अवगत है कि शासन द्वारा प्रदेश के निवेश क्षेत्रों में आवासीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम प्रदेश में दिनांक 01.08.2002 से प्रभावशील है।

2/ प्रदेश के कतिपय जिला कलेक्टरों से अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के प्रकरणों में नियत शास्ति राशि के अलावा भवन अनुज्ञा शुल्क, कर्मकार शुल्क, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु शुल्क एवं सड़क बाधा शुल्क लिये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है। इसी के साथ 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर निर्मित आवासीय भवनों जिनके नियमितिकरण पर कोई शास्ति राशि नियत नहीं है, पर उक्त शुल्क लिये जाने के संबंध में भी मार्गदर्शन चाहा है।

3/ उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 में नियमितिकरण हेतु नियत शास्ति राशि के अलावा अन्य कोई शुल्क लिये जाने का उल्लेख नहीं है। अधिनियम की धारा-14 में निम्नलिखित प्रावधान है :-

"छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956), छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1993) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के जारी होने के दिनांक से, अधिनियम में उल्लेखित अनियमित विकास के संबंध में, ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद कर देगा, जिनका इस अधिनियम के अंतर्गत प्रयोग करने, पालन करने तथा निर्वहन के लिए राज्य शासन, संभायुक्त या प्राधिकारी सक्षम है।"

4/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 में ऊपर उल्लेखित उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के प्रकरणों के निराकरण हेतु नियत शास्ति के अलावा अन्य कोई शुल्क नही लिया जाना है। चूकि इस अधिनियम के जारी होने के दिनांक से विकास से संबंधित उपरोक्त अधिनियमों में विहित शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद हो जावेगा। कर्मकार शुल्क के संबंध में श्रम विभाग कार्यवाही कर सकता है। जहां तक वाटर हार्वेस्टिंग का प्रश्न है, इस संबंध में इस विभाग समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.10.2016 की कंडिका–4 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय शुक्ला) 12/1/17
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.कमांक एफ 7–10/2016/32 नया रायपुर दिनांक 12/01/2017

प्रतिलिपि :

1. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
2. आयुक्त सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
4. समस्त संभागायुक्त छ.ग.,
5. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
6. माननीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी के विशेष सहायक,
7. माननीय नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जी के विशेष सहायक,
8. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

D:/H&E Department/2015/letter-203